

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 91/ 2022

उनवान

- 1- देवेन्द्र प्रसाद पुत्र सत्यपाल सुखवाल निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मु0 शारदा देवी पत्नी देवेन्द्र प्रसाद सुखवाल निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- मु. संतोकदेवी पत्नी मदन रेगर निवासी अरनिया रासा
- 2- शिवलाल पुत्र उगाम माली निवासी अरनिया रासा
- 3- मीटू पुत्र हरिराम माली निवासी अरनिया रासा
- 4- नाथू पुत्र हरिराम माली निवासी अरनिया रासा
- 5- देवी पुत्र लालू माली निवासी अरनिया रासा
- 6- नाथू पुत्र मीटू माली निवासी अरनिया रासा
- 7- मु. रामू पत्नी रामसुख माली निवासी अरनिया रासा
- 8- हीरा पुत्र रामकरण माली निवासी अरनिया रासा
- 9- राजू पुत्र छोगा माली निवासी अरनिया रासा
- 10- देवी पुत्र लालू माली निवासी अरनिया रासा
- 11- रामदयाल पुत्र तेजपाल पारीक निवासी अरनिया रासा
- 12- नारायण सिंह पुत्र दौलत सिंह राजपूत निवासी नई आरणी
- 13- रामपाल पुत्र छोगा माली निवासी अरनिया रासा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री नमन ओझा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 30.8.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम अरनिया रासा पटवार हल्का अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1155 रकबा 0.60 है0, 1159 रकबा 0.09 है0, 1160 रकबा 0.10 है0, 307 रकबा 0.24 है0, 314 रकबा 0.19 है0, 315 रकबा 0.08 है0, 671 रकबा 0.13 है0, 736 रकबा 0.13 है0, 747 रकबा 0.24 है0, 753 रकबा 0.11 है0, 768 रकबा 0.14 है0, 837 रकबा 0.35 है0, 838/3213 रकबा 0.07 है0 कुल कित्ता 13 रकबा 2.47 हैक्टेयर की प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 3, 5, 7, 9 लगायत 13 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 2, 4, 6, 8 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया रासा पटवार हल्का अरनिया रासा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अरनिया रासा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 13 रकबा 2.47 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 1200/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फीसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.8.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा